

18. सभदी पुंन स्व. श्री गणपतराम श्री वातियाजं विखोई, विवासीजण- विखमासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
19. शाखा प्रबंधक, पस्वीवीले शाखा जोध, तहसील कावासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
20. शाखा प्रबंधक, सूकै बेंक शाखा बाप, तहसील बाप।
21. राजस्थान सरकार जोध तहसीलदार बाप।

रह्य। ...

अपील अवजोत धारा 223 राजस्थान कायदेकरी अधिनियम, 1955 बरखिलाक जिलाप एवं डिफ्टी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकाारी, बाप त्रिंकांक 31 मई 2018 राजस्व वाट संख्या 118/2015

शजगाराज बजाम देवाराज इत्यादि

----- 0 -----
 (2)223RTA2019-00221JU2019-101 Subhash etc Vs Bhajanaram etc

01. सुभाष पुंन स्व. श्री गजाराज

02. अशोक पुंन स्व. श्री गजाराज

03. सुआ पत्नी स्व. श्री गजाराज

04. देवाराज पुंन स्व. श्री राजराज

05. हीराराज पुंन स्व. श्री राजराज

06. त्रिखगाराज पुंन स्व. श्री राजराज

07. भास्मलराज पुंन स्व. श्री खीवराराज

08. बाईराज पुंन स्व. श्री खीवराराज

09. राजलदीदी पत्नी स्व. श्री भगदाजाराज

10. पुंनाराज पुंन स्व. श्री भगदाजाराज

11. पर्याराज पुंन स्व. श्री भगदाजाराज

12. संतकेशराज पुंन स्व. श्री भगदाजाराज

शश्री वातियाजं विखोई, विवासीजण- विखमासर, कावासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलारस ...

ब

ली

श

01. शजगाराज पुंन स्व. श्री शराराज वातियाजं विखोई, विवासी- विखमासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
02. मोहनराज पुंन स्व. श्री शराराज
03. त्रिखगाराज पुंन स्व. श्री शराराज

शराराज
 शराराज
 जोधपुर



આદિકારી બાપ હારા રાજસ્વ વાદ સંખ્યા 118/2015 અજનારામ બનામ
અધીશાળક સહાયક કલેક્ટર પ્લ ૩૫૨૦૬
તિજાક : 17 નવેમ્બર 2021

જિ નામ

અધીશાળક પૂજીયા, અધીશાળક-અધીશાળક
શ્રી પૂજીયામ વિજાઈ, અધીશાળક- સંખ્યા 1
શ્રી લે.કે. શાંક, અધીશાળક સંખ્યા 19
શ્રી રાજામ વાઈલી, રાજકોષ અધીશાળક સં. 21

૩૫૨૦૬-

----- 0 -----


અધીશાળક અન્વેષણકાર 223 રાજસ્થાન કોલેજ
અધીશાળક, 1955 રાજસ્થાનક જિનામ પ્લ ૩૫૨૦૬
સહાયક કલેક્ટર પ્લ ૩૫૨૦૬ અધીશાળક, બાપ
તિજાક 30 જુલાઈ 2019 રાજસ્વ વાદ સંખ્યા
118/2015 અજનારામ બનામ રેવારામ કુન્ડાઈ



... સંખ્યા.

21. રાજસ્થાન સરકાર વાઈસે વહીશાળકાર બાપ ।
20. શાંકા પદાધિકારી, શ્રી લે.કે. શાંકા બાપ, વહીશાળક બાપ ।
પીકર, જિનામ વેસાઈ ।
19. શાંકા પદાધિકારી, પદાધિકારી શાંકા શાંકા, વહીશાળક
કાનામ, વહીશાળક બાપ, જિનામ વાઈલી ।
18. અધીશાળક વિજાઈ, જિનામ- વિજામસર,
શ્રી વાઈલી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
17. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
16. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
15. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
14. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
13. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
12. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
11. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
10. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
09. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
08. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
07. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
06. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
05. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી
04. શ્રી પૂજી સ્વ. શ્રી વાઈલી

हिरसा अर्थीय में लडी रहल है। उपरोक्त बेचन हस्तान्तरण करने के बाद एक हिरसा बेचन करना लिखा गया। इसके बाद उनका कोई भी एक बिना फील्डकोट पंजाब के नाम लिखादिता कर दिया तथा अर्थीय में अपना जवाबदायिगी जति नोटिफिकेशन लिखासी खाना तहसील मंडलासर हिरसा का फील्डकोट लिखा 47 बडक कुलवासीह, छोटेसिंह पिपराज हिरसा में दिनांक 21.12.1979 को 1/4 हिस्से का रकबा 123 बीघा 02 सख्या 6 से 8 के फील्डकोट वद फाउण्डेशन व फलफूल अनाहिरसा में फील्डकोट वद खेत, फलफूल सख्या 4 जीवण में छोटेसिंह, फलफूल बेचनकर्ता के नाम लिखा गया, इसके बाद फलफूल सख्या 1 से 3 के में कर दिया, इसके बाद खतीली संवत: 2027 से 2030 को पूरा: अर्थात् पर स्पेशल स्वीकार कर लिया गया तथा इसका इन्डान जमाबंदी का तथा स्वीकारना भी का कब्जा संपूर्ण अर्थीय पर स्वीकार किया, जिसके 2020 में अधीनस्थान के पूर्व स्व. खतीरामजी को बेचन कर दिया एक वादी तथा फलफूल सख्या 2 से 18 के पूर्वो जे अपना हिरसा संवत 01 हिरसा के फलफूल सख्या एक से 11 के 1/4 हिस्से को फलफूल सख्या लिखमासर के खासत नं. 1298, 1299, 1300, 1301 कुल रकबा 494 बीघा फलफूल का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लिखादिता अर्थीय नाम




आफ किसे जाने का लिखेन किया गया।
05 ज्वादे अधिजायम का प्रवृत्त कर अधीन प्रवृत्त करने में हुई देरी का अधीन सख्या 100/2019 के साथ एक फलफूल 47 अन्वलेत धारा

दोनों से एक ही लिफ्ट में लिखादिता की जा रही है।
दोना अधीन समान फलफूल एवं समान कार्गो विद् लिखित की धारा 223 के तहत 21 अगस्त 2019 को प्रवृत्त की है।
अधीन अदागत राजा के समझ राजस्थान कारखानेकारी अधिजायम, 1955 एवं अर्थीय डिफी एवं लिफ्ट दिनांक 30 जुलाई 2019 के रिवाक आलोख देवाराज इत्यादि में पारि लिफ्ट एवं फलफूल डिफी दिनांक 31 मई 2018

11/11

वहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाप्रेस ने तयों एवं अपील भीनी
में वर्तित बिजुआ को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलापीन प्रशासनिक
प्रशासनिक डिप्टी एवं अतिम डिप्टी भिलावटी, एक पक्षीय, प्राकृतिक न्याय
तथा विधि के अतिवाय प्रमाणों के सिवायक व बिना शैक्षणिक व
होने से निरस्त किया जाने योग्य है। जब वादी तथा प्रतिवादी संख्या 13
से 29 के हिस्से की भीम को उनके द्वारा बेचान कर दिया गया तथा
उनका हिस्सा विधिक रूप से हस्तांतरित हो गया, उसके बाद वादी को
उक्त बेचानों के प्रभाव में रखे कि सी भी प्रकार का कोई वाद भीम
विभाजन के लिये प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता है तथा
अपीलापीन वाद प्रशासनिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने के योग्य है।
वादी ने उसका हिस्सा पूर्व से ही बिक्री हुआ हुआ होने के लिये वाद को



एक से बरह की वामान मानकर उनके सिवायक एकपक्षीय कार्यावाही
करने के आदेश दिए गये। पोरटल रसीदे पेश होने पर प्रतिवादी संख्या
28 अक्टूबर 2015 को दत्त रिकॉर्डर कर प्रतिवादीवाण को नोटिस जारी
किया। उक्त वाद के प्रस्तुत होने पर विद्वान सहायक कलक्टर ने दिनांक
हड़पने के लिये विद्वान सहायक कलक्टर बाण के न्यायालय में प्रस्तुत
एक भीम विभाजन का भिलावटी वाद बेचान की हुई भीम को पूर्व:
1/4 हिस्सा खातेदारी में होना बताकर उसका विभाजन प्राप्त करने हेतु
1300 कुल रकबा 494.01 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 20 से 29 का
अपीलापीण के विरुद्ध एक वाद दाखलत भीम खास नं. 1298, 1299,
प्रत्येकी संख्या एक ने शेष प्रत्येकी संख्या 2 से 18 से मिलकर

वादी।

